भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 718
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

न्याय में तेजी लाने के लिए कृतक बल

+718. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कृतक बल गठित किया है ;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए न्यायिक प्रभाव आकलन का ब्यौरा क्या है तथा कृतक बल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;
(ग) सरकार द्वारा उक्त कृतक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ;
(घ) क्या सरकार ने उक्त कृतक बल पर अतिरिक्त व्यय का कोई आकलन किया है ; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)
(क) : सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति एम. जगन्नाध राव (सेवानिवृत्त), उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और भारतीय विधि आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर सरकार द्वारा 'न्यायिक प्रभाव आकलन' पर एक कृतिक बल का गठन किया गया था। तारीख 15 जून, 2008 को कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया था।
(ख) : कृतिक बल के निदेश के निबंधनों में, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों पर विधान के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्यपद्धति तथा एक समुचित ढांचे का सुझाव देना भी था ताकि संसद् में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक विधेयक के साथ एक न्यायिक प्रभाव आकलन भी हो जो वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करे। कृतिक बल ने, अन्य बातों के साथ, अपने अपने विधानों के संबंध में, न्यायालयों पर पड़ने वाले अतिरिक्त मामलों के भार के प्राक्कलन तथा यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय के प्राक्कलन के लिए केन्द्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर न्यायिक प्रभाव कार्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इसने यह भी सिफारिश की कि देश में न्यायिक प्रशासन, विशेषकर न्याय तक पहुंच तथा त्वरित न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में अवसंरचना, न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद पर व्यय हेतु, पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट **http:// doj.gov.in/sites/ default/files/ judicialimpactassessmentreportvol1%20%201_0.pdf** पर उपलब्ध है।

(ग) : कृतिक बल की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, कृतिक बल की रिपोर्ट के कार्यान्वयन संबंधी मामले पर नवंबर, 2012 में हुई न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् की बैठक में विचार विमर्श किया गया था। अन्य बातों के साथ, यह विनिश्चित किया गया था कि कृतिक बल द्वारा यथाअनुशंसित न्यायिक प्रभाव आकलन का विशेषज्ञ समिति द्वारा विद्यमान परिस्थिति में उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन

करने के लिए और अध्ययन किया जाए। अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के दौरान इस विषय को कृत कार्रवाई रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि अब तक प्राप्त विशेषज्ञों की राय के मतानुसार न्यायपालिका के कार्यभार पर विधान के प्रभाव का आकलन करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और इस विचार की व्यवहार्यता को उसे कार्यान्वित करने से पूर्व सिद्ध करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सितंबर, 2013 में न्यायिक प्रभाव आकलन की कार्यपद्धतियों की क्रियान्वयनता के मुद्दे की जांच करने के लिए और इस संबंध में और कार्रवाई के सुझाव हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने तारीख 9 जनवरी, 2015 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, यह निष्कर्ष निकाला था कि न्यायिक प्रभाव आकलन न्यायपालिका के लिए निधियों के उचित बजट संबंधी नियोजन और आबंटन की पद्धति के रूप में न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय।

(घ) और (ङ) : उपरोक्त (ग) के दृष्टिकोण से प्रश्न ही नहीं उठता।

****